कलेसर वन्यजीव अभयारण्य

स्रोत: लाइव लॉ

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में **कलेसर वन्यजीव अभयारण्य** के अंदर **चार प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी** क्योंकि निर्माण न केवल वन्यजीवों और स्थानीय समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा बल्कि **पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुँचाएगा।**

- इसकी स्थापना 1988 में स्थानीय वन्य जीव और जैव विविधता की रक्षा के लिये की गई थी और 8 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- यह हिमालय की **शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी** में स्थित है और **राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड)** और **सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान (हिमाचल प्रदेश)** से सटा हुआ है।
- यह **13,209 एकड़** में फैला हुआ है ,जैव विविधता से समृद्ध है, जिसमें घने **साल एवं खैर** के जंगल और घास के मैदान हैं जो विविध पौधों तथा जानवरों के जीवन का समर्थन करते हैं।
- यह जानवरों की कई प्रजातियों का घर है, जिनमें **तेंदुए, सांभर हरिण, भौंकने वाले हरिण, लकड़बग्घा, सियार, भारतीय साही, भारतीय पैंगोलिन और लंगूर तथा पक्षियों** की कई प्रजातियाँ शामिल हैं, जैसे कि लाल जंगलमुर्गी, ग्रे पार्ट्रिज़, भारतीय मोर और व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशिर

और पढ़ें: कलेसर वन्यजीव अभयारण्य

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/kalesar-wildlife-sanctuary-1